ISSN 2277-5897 SABLOG
PEER REVIEWED JOURNAL

134

लोक चेतना का राष्ट्रीय मासिक

सबलोग

दिसम्बर 2024 • ₹ 40

गरीबी उन्मूलन : नीति और नीयत

- मन्दिरों में नहीं रह सकतीं आण्डाल
- हिन्दी आलोचना और विजयदेव नारायण साही
- नदियों के अस्तित्व पर नया खतरा

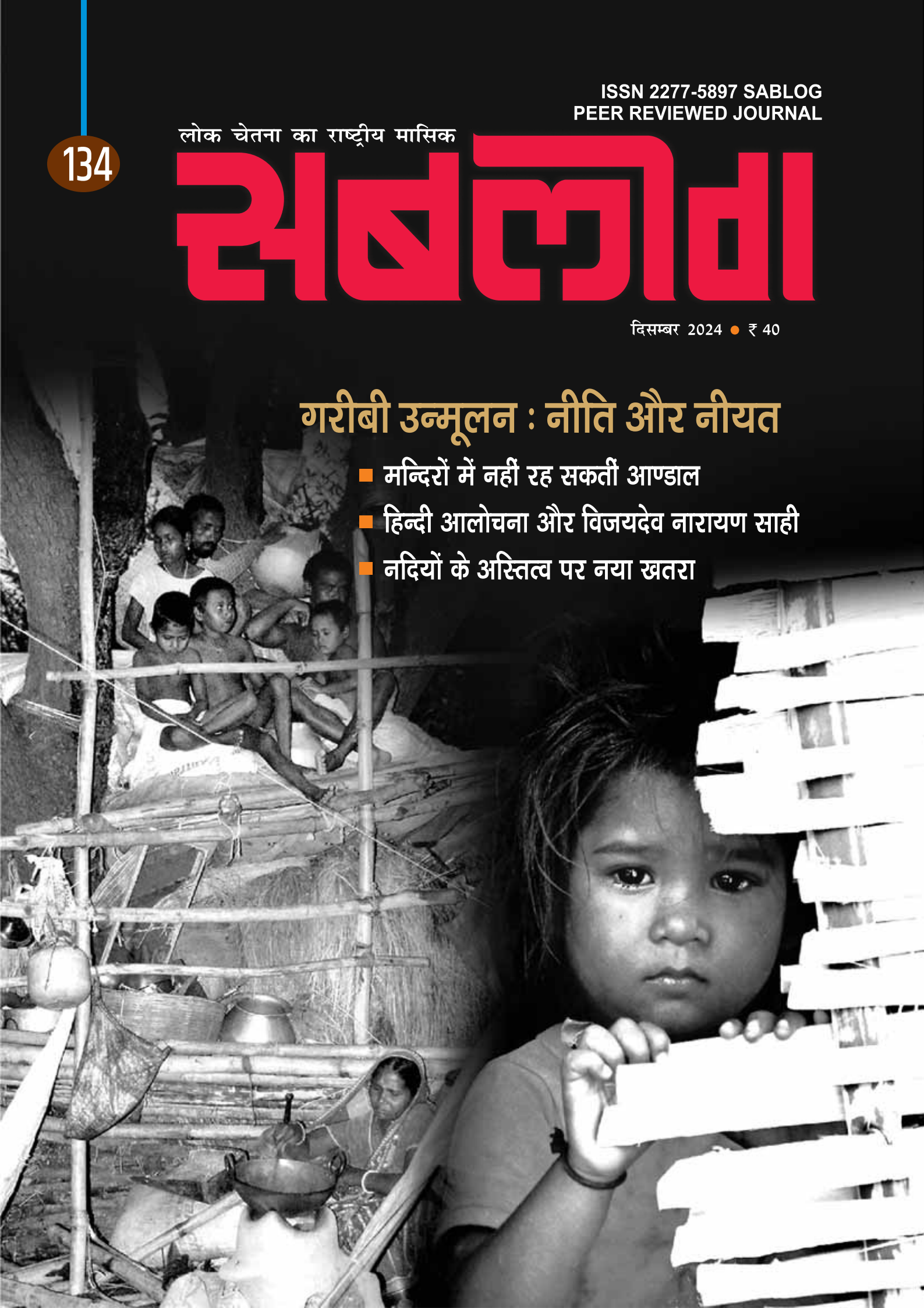

ISSN 2277-5897 SABLOG PEER REVIEWED JOURNAL

लोक चेतना का राष्ट्रीय मासिक

सबलोग

'सबलोग' की शुरुआत तब हुई जब समाज से विचार को बेदखल करने के वैश्विक अभियान की हवा तेज थी, जो आज दूनी रफ्तार से चल रही है, जब वैमनस्य बढ़ाने वाली और समरसता को भंग करने वाली राजनीति अपना विस्तार करने लगी थी और जब लोकतन्त्र को विकलांग बनाने के लिए उसके सभी खम्भों को हिलाया जाने लगा था।

2009 में निकले पहले अंक में आजादी के बाद का मूल्यांकन किया गया था। तब से आज तक यह हिन्दी के उन लेखकों की पसन्द बनी हुई है जो विचारपरक लेखन से बेहतर दुनिया बनाने का मोर्चा सम्भालते रहे हैं। 'सबलोग' जहाँ अपने प्रिण्ट एडिशन में किसी ज्वलन्त और जरूरी मुद्दे पर अभियान की तरह गहन विचार-विमर्श का मासिक आयोजन करती है वहीं अपने पोर्टल पर यह समकालीनता के केन्द्रीय बिन्दु के आसपास प्रखर वैचारिकता से लैस बहुआयामी विमर्श की दैनिक प्रस्तुति से पाठकों को एक खास अन्दाज में आकर्षित करती है।

यह अकारण नहीं कि आज 'सबलोग' वैकल्पिक मीडिया की विश्वस्त आवाज बनी हुई है। यह आवाज दूर तक जाए और इस आवाज का असर भी हो इसके लिए आपके भरोसे और सहयोग की जरूरत है।

कृपया 'सबलोग' को अर्थसहयोग करें।

सबलोग

खाता संख्या : 49480200000045

बैंक ऑफ बड़ौदा

शाखा : बादली, दिल्ली

IFSC - BARB0TRDBAD

Scan to pay with any UPI app

सबलोग-134

वर्ष 15, अंक 12, दिसम्बर 2024

ISSN 2277-5897 SABLOG
PEER REVIEWED JOURNAL
www.sablog.in

सम्पादक
किशन कालजयी

संयुक्त सम्पादक
प्रकाश देवकुलिश
राजन अग्रवाल

उप-सम्पादक
गुलशन चौधरी

ब्यूरो
उत्तर प्रदेश : शिवाशंकर पाण्डेय
मध्य प्रदेश : जावेद अनीस
बिहार : कुमार कृष्णन
झारखण्ड : विवेक आर्यन

समीक्षा समिति (Peer Review Committee)
आनन्द कुमार
सुबोध नारायण मालाकार
मणीन्द्र नाथ ठाकुर
मंजु रानी सिंह
सफदर इमाम कादरी
राजेन्द्र रवि
मधुरेश
आनन्द प्रधान
महादेव टोप्पो
विजय कुमार
आशा
सन्तोष कुमार शुक्ल
अखलाक 'आहन'

प्रबन्ध निदेशक
अभय कुमार झा

सम्पादकीय सम्पर्क
बी-3/44, तीसरा तल, सेक्टर-16,
रोहिणी, दिल्ली-110089
+ 918340436365
sablogmonthly@gmail.com

सदस्यता शुल्क
एक अंक : 40 रुपये–वार्षिक : 450 रुपये
द्विवार्षिक : 900 रुपये–आजीवन : 5000 रुपये

सबलोग
खाता संख्या-49480200000045
बैंक ऑफ बड़ौदा,
शाखा-बादली, दिल्ली
IFSC-BARB0TRDBAD
(Fifth Character is Zero)

स्वामी, सम्पादक, प्रकाशक व मुद्रक किशन कालजयी द्वारा बी-3/44, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110089 से प्रकाशित और लक्ष्मी प्रिण्टर्स, 556 जी.टी. रोड शाहदरा दिल्ली-110032 से मुद्रित।

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, उनसे सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं।

पत्रिका अव्यावसायिक और सभी पद अवैतनिक।
पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी विवाद के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली।

संवेद फाउण्डेशन का मासिक प्रकाशन

गरीबी उन्मूलन : नीति और नीयत

गरीबी उन्मूलन और संसदीय राजनीति : **सरोज कुमार वर्मा** 4
गरीबी मिटाने को लेकर कितनी गम्भीरता : **बसन्त हेतमसरिया** 6
...और गरीब बढ़ते गये : **अनिल चमड़िया** 8
नेकनीयत और स्पष्ट नीति की जरूरत : **घनश्याम** 10
लोकतन्त्र और कथित रेवड़ी संस्कृति : **प्रमोद मीणा** 12
सामाजिक सुरक्षा और राज्य की अवधारणा : **प्रमोद कुमार** 15
समकालीन भारत में गरीबी उन्मूलन : **सुधीर कुमार सुथार** 17
मानवीय गरिमा की बलि : **राहुल यादुका** 19

सृजनलोक

आठ कविताएँ : **अंचित,** टिप्पणी : **हृषीकेश सुलभ,** रेखांकन : **प्रीतिमा वत्स** 21

राज्य

हरियाणा / काँग्रेस के गले की फाँस : **धर्मपाल धनखड़** 23
उत्तर प्रदेश / पोस्टर की लड़ाई : **शिवा शंकर पाण्डेय** 25
झारखण्ड / जिन मुद्दों ने इतिहास रचा : **विवेक आर्यन** 27
मणिपुर / संकट के कगार पर : **जमुना सुखाम** 30

स्तम्भ

चतुर्दिक / जस्टिस चन्द्रचूड़ : कोर्ट के भीतर और बाहर : **रविभूषण** 32
तीसरी घण्टी / डिवाइस थिएटर के ऊबड़-खाबड़ रास्ते : **राजेश कुमार** 35
यत्र-तत्र / प्रेम-कहानी : पूरे का अधूरा रह जाना : **जय प्रकाश** 38
देशान्तर / हिजबुल्लाह - राज्य के भीतर का राज्य : **धीरंजन मालवे** 41
परती परिकथा / एक नयी शब्दावली की जरूरत : **हितेन्द्र पटेल** 43
कविताघर / कविता पर ही लिखी जाती कविता : **प्रियदर्शन** 46

विविध

इतिहास / मन्दिरों में नहीं रह सकतीं आण्डाल : **सुभाष राय** 48
जन्मशती / हिन्दी आलोचना और विजयदेव नारायण साही : **मुक्तेश्वर नाथ तिवारी** 51
शहरनामा / नदियों के अस्तित्व पर नया खतरा : **सिद्धान्त कुमार** 54
समाज / जीवन से जुड़ी आजीविका : **अशीष कोठारी** 57
साहित्य / शापग्रस्त दौर के कहानीकार अखिलेश : **गुलनाज बेगम** 59
सिनेमा / जिन्दगी में 'ईब आले ऊ' के मायने : **रक्षा गीता** 62
पुस्तक समीक्षा / निर्माण प्रक्रिया की मौन सहयात्रा : **प्रमोद कुमार झा** 65
लिये लुकाठी हाथ / हाँ पुल गिरा, तो? : **निवास चन्द्र ठाकुर** 66

आवरण चित्र : **शशिशंकर**

संयोजन : **शशिकान्त सिंह**

अगला अंक : नया साल, नये सवाल

गरीबी उन्मूलन और संसदीय राजनीति

सरोज कुमार वर्मा

गरीबी का उन्मूलन सदियों से समाज का एक बड़ा उद्देश्य रहा है। विश्व स्तर पर, गरीबी न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करती है। गरीबी उन्मूलन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों में अशिक्षा, बेरोजगारी, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी शामिल हैं, जिनसे गरीब तबके को गरीबी की दुष्चक्र में फँसा हुआ रखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन को अपने 'सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)' का प्रमुख घटक बनाया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गरीबी को समाप्त करना है।

लेखक जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा (बिहार) के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं।

+9170043 58535

sarojkverma@gmail.com

भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएँ लायी गयी हैं। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा, प्रधानमन्त्री जन-धन योजना ने गरीब तबकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। गरीबी उन्मूलन की दिशा में किये गये उपायों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे न केवल आर्थिक स्तर पर बल्कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी स्थिरता प्रदान करते हैं।

संसदीय प्रणाली का मूल उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों का संरक्षण करना और उनके विकास के लिए नीतियाँ बनाना है। संसदीय राजनीति के माध्यम से जनप्रतिनिधि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों की आवाज को ऊपर तक पहुँचाते हैं और उनके उत्थान के लिए नीतियाँ बनाने में सहायक होते हैं। संसदीय राजनीति का एक बड़ा पहलू यह है कि इसके माध्यम से गरीबों के हित में कई योजनाओं को लागू करने के लिए बजट आवंटन और नीति-निर्माण का काम किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए संसद में विस्तृत चर्चा के बाद नीतियाँ बनायी जाती हैं।

सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य कमजोर वर्गों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और गरीबी से बच सकें। सामाजिक सुरक्षा का लाभ विशेषकर उन लोगों को मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ, स्वास्थ्य सेवाएँ, और विकलांगता सहायता जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा के ये उपाय उन्हें सामाजिक-आर्थिक जोखिमों से बचाते हैं और उन्हें आर्थिक स्वतन्त्रता देते हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक बड़ा उदाहरण ''प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना'' (आयुष्मान भारत) है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में गरीब परिवारों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अटल पेंशन योजना ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा दी है। ये सभी योजनाएँ गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलायी जा रही हैं।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कई देश अपनी जनसंख्या को गरीबी और असमानता से बचाने के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका की 'सोशल सिक्योरिटी' प्रणाली ने वृद्धावस्था और विकलांगता में नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, जो उन्हें जीवन के कठिन समय में मदद करती है। इसी प्रकार, कई यूरोपीय देशों में भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार है, जो कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।